

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/2076-2109 जे 2131 दिनांक:- 30/10/23

समस्त प्रधान महालेखाकार/
महालेखाकार (लेखा व हक)
कार्यालय

विषय:- 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र संख्या 3334-H दिनांक 11.10.2023 प्राप्त हुआ है। राजस्थान राज्य के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 75 वर्ष पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता के आदेश दिनांक 25.07.2023 की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की है। (प्रति संलग्न)

अतः निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त आदेश दिनांक 25.07.2023 आपके कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (आदेश की कोपी)

भवदीय,

501/7R-219-221

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/2110-2112

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) विशेष सचिव वित्त, नियम खंड, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (3) अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, पो.बा.न. 3307, जयपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
- (4) वरिष्ठ लेखाधिकारी/ए.एम.जी-IV, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I, जयपुर।
- (5) शाखाधिकारी, टी.आई.सेल./ टी.एम. अनुभाग।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
दिनांक:- 16/10/23
20-10-23

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
दिनांक:- 16/10/23

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/249-283

दिनांक:- 07-05-23

समस्त प्रधान महालेखाकार/
महालेखाकार (लेखा व हक.)
कार्यालय

विषय:- राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2023 से 38% से 42% की बढोत्तरी आदेश अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को भुगतान कराने हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश संख्या F.12(8)FD(Rules)/2017
दिनांक 25.03.2023

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के उक्त संदर्भित आदेशों के द्वारा राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2023 से 38% से 42% की बढोत्तरी के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर निर्देशित करने का श्रम करे तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करे। उक्त आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग की वेबसाइट <http://www.finance.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

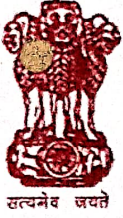
क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/501/72-48-50

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) विशेष सचिव वित्त, नियम खंड, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (3) अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, पो.बा.न. 3307, जयपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
- (4) वरिष्ठ लेखाधिकारी/ए.एम.जी-IV, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I, जयपुर।
- (5) शाखाधिकारी, टी.आई.सेल / टी.एम. अनुभाग।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
दिनांक:- 07-05-23

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
दिनांक:- 07-05-23



संख्या/क्र. पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date.....

समस्त प्रधान महालेखाकार/
महालेखाकार (लेखा व हक.)
कार्यालय

विषय:- राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2023 से 42% से 46% की बढ़ोतरी आदेश अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को भुगतान कराने हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश संख्या F.12(8)FD(Rules)/2017
दिनांक 31.10.2023

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के उक्त संदर्भित आदेशों के द्वारा राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2023 से 42% से 46% की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सलंगन कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें। उक्त आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग की वेबसाइट <http://www.finance.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2023-24/SP/172-302

दिनांक:- 07-01-24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) विशेष सचिव वित्त, नियम खंड, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (3) अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, पों.बा.न. 3307, जयपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
- (4) वरिष्ठ लेखाधिकारी/ए.एम.जी-IV, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा I, जयपुर।
- (5) शाखाधिकारी, टी.आई.सेल / टी.एम. अनुभाग।

✓ (6) गार्ड फाईल प्रति।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति